कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री अक्षत त्यागी को पाली जिला आवंटित किया गया था। श्री अक्षत त्यागी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 13149/2020 अक्षत त्यागी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2020 के अनुसरण मे याचिकार्थी अक्षत त्यागी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 मे चयनोपरान्त विभाग द्वारा गृह जिला/चाहा गया जिला श्रीगंगानगर आवंटित न कर पाली जिला आवंटन किया गया है। याचिकार्थी के कथनानुसार उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियो को गृह जिला/चाहा गया जिला आवंटित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा गृह जिला/चाहा गया जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री अक्षत त्यागी द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मेरिट के अनुसार पाली जिला आवंटित किया गया था।

जिला आवंटन के समय विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु/अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही जिला आवंटन काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा जिला आवंटन हेतु विशेष श्रेणियों का निमार्ण कर वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो मे याचिकार्थी को पाली जिला आवंटित किया गया है जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

शासन के निर्देशानुसार ही दिनांक 27.06.2020 को जिला आवंटन हेतु हेतु विशेष श्रेणियों का निर्धारण कर यथा सर्वप्रथम विकलांग/विधवा /परित्यक्ता/ भूतपुर्व सैनिक /शहीद सैनिक आश्रित/पति–पत्नी प्रकरण/असाध्य रोग/एकल महिला/सामान्य महिला/अन्य अभ्यर्थियों को निम्नानुसार श्रीगंगानगर जिला आवंटन किया गया है –

श्रेणियां जिनमें रिक्त सीटों का आवंटन किया	श्रीगंगानगर जिले में रिक्तियो का आवंटन
विकलांग	07
परित्यक्ता	0
एकल महिला	87
भूतपुर्व सैनिक	01
पति–पत्नी प्रकरण/कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा में हो	04
सामान्य महिला	55
अन्य शेष अभ्यर्थी	74
योग	228

किसी कार्मिक द्वारा गृहनगर/इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियो का विभागीय व्यवस्था, राज्य हित व लोकहित को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, याचिकार्थी द्वारा गृह जिले मे पदस्थापन की मांग कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा याचिकार्थी अक्षत त्यागी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सा./बी–1/कनिसहा.2018/अक्षत त्यागी/13149/2020 109 दिनांक – 26.2.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जांच/नि0/ 29825/ए/2020/2 दिनांक 12.02.21
2. एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यावेदन सबंधी निर्णय से कार्मिक को अवगत करावे।
4. अक्षत त्यागी कनि.सहा. राउमावि रायपुरिया, ब्लॉक रानी, पाली
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर